

निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 210/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक सैन्ट्रैलाईज्ड लोन प्रोसेसिंग सेन्टर 2, नेहरू पैलेस, टॉक रोड, जयपुर ।


प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) मैसर्स जय गणेश फूड प्रोडक्ट्स  
पता-एच 1/34, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, बरसी, जयपुर ।
- (2) श्रीमती जया वृंदानी पत्नी श्री प्रकाश चन्द वृंदानी  
मकान नं. 153, कंवर नगर, त्रिपोलिया बाजार, गोविन्द देव जी मन्दिर के पीछे, जयपुर ।
- (3) प्रकाश चन्द वृंदानी पुत्र श्री कन्हैया लाल वृंदानी  
मकान नं. 153 कंवर नगर, त्रिपोलिया बाजार, गोविन्द देव जी के मन्दिर के पीछे, जयपुर ।

अप्रार्थी

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक 14.12.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.05.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी की रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बरसी एच-1/334 पर स्थित स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स एवं अप्रार्थी प्रकाश चन्द वृंदानी पुत्र श्री कन्हैया लाल वृंदानी के स्वामित्व की आवासीय बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 365, रायजी का घर, सुभाष चौक, चौकडी शरहद जयपुर क्षेत्रफल 392.27 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 80,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी एवं नवीनीकरण दिनांक 17.02.2018को किया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest


लह।  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथीकेटेड उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य प्रतिनिधि का गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 80,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 83,05,249/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी की रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया बरसी एच-1/334 पर स्थित स्टॉक एण्ड बुक डेब्ट्स एवं अप्रार्थी प्रकाश चन्द वरिदानी पुत्र श्री कन्हैया लाल वरिदानी के स्वामित्व की आवासीय बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. 365, रायजी का घर सुभाष चौक चौकडी शरहद जयपुर क्षेत्रफल 392.27 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त हाईपोथीकेटेड सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 14.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
14/12/2020  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर